



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1666

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19435 वर्ष 2025

मंगलेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता

: रामेंद्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. शुक्ला और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह वर्ष 2018 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभा शंकर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: सिविल अपील संख्या 10956 2018 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुट्टी लाल (2002) खंड 2 यूपीएलबीईसी 1595 के निर्णय के दृष्टिगत न्यूनतम वेतनमान यानी 18,000/- रुपये के भुगतान की मांग करता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 4, संभागीय निदेशक वानिकी, वन एवं जीव प्रभाग, पीलीभीत द्वारा किया जाएगा।
4. उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 16.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 4, संभागीय निदेशक वन विभाग, वन एवं जीव प्रभाग के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 4 तीन माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

5. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

6 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.